ज्ञान तत्व अंक 142
(क) लेख, समता या स्वतंत्रता।
(ख) लेख, आदरणीय अश्विनी कुमार जी, पंजाब केशरी संपादक ।
(ग) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर ।
(घ) पत्रोत्तर ।
(च) हिन्दी स्वराज्य विचार में दिल्ली।

(क) समता या स्वतंत्रता

समता और स्वतंत्रता दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके भिन्न–भिन्न संदर्भो में भिन्न–भिन्न भावार्थ निकलते रहे हैं। पूंजीवाद और साम्यवाद इन दोनों शब्दों का अलग–अलग ढंग से दुरूपयोग करते रहे हैं। पूंजीवाद हमेशा स्वतंत्रता की बात करता है, असीम स्वतंत्रता की भले ही इस स्वतंत्रता के कारण प्रतिष्ठा और अवसर की किसी भी सीमा तक असमानता क्यों न हो जावे। दूसरी ओर साम्यवाद हमेशा समता की बात करता है, अधिकतम समानता की भले ही इस समानता के लिए सम्पूर्ण समाज को गुलाम बनाकर क्यों न रखना पड़े। लोकतंत्र दोनों के बीच का मार्ग है जो सिद्धान्त स्वतंत्रता के पक्ष में है किन्तु भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत समता का पक्ष मजबूत करता है। विदित हो कि संविधान की उद्देश्यिका में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना तक तो स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, किन्तु प्रतिष्ठा और अवसर के समानता के साथ। स्वाभाविक है कि स्वतंत्रता सीमित अर्थो में है और समता व्यापक अर्थो में है और समता व्यापक अर्थो में।

यदि समानता का विचार सामाजिक जीवन में हो जावे तो आदर्श स्थिति हो सकती है और प्रशासनीक माध्यम से स्थापित करना पड़े तो निकष्ट स्थिति होती है। स्वतंत्रता के पूर्व सामाजिक जीवन में घोर असमानता व्याप्त थी। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी के मन में असमानता दूर करने के प्रयत्नों की एक स्पष्ट रूपरेखा थी किन्तु गांधी जी के बाद राजनीतिज्ञों ने समता शब्द का दुरूपयोग किया और अपनी राजनैतिक शक्ति बढ़ाने का उचित माध्यम मान लिया। यदि समानता को राजनीति का हथियार बना लिया जाए तो समानता पूरी तरह स्वतंत्रता की शत्रु होती है। साम्यवादी देशों ने तो घोषित रूप से ही स्वतंत्रता की हत्या कर दी थी। समाजवादी देशों ने स्वतंत्रता देशों ने स्वतंत्रता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। भारत ने भी प्रारम्भ से ही साम्यवाद की राह पकड़ी जो सीधे–सीधे स्वतंत्रता के विरूद्ध प्रयत्न का एक भाग था और आज तक जारी है। वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्वतंत्रता को मजबूत करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसका परिणाम है आर्थिक असमानता में लगातार वृद्धि। वामपंथी इसके बिल्कुल विरूद्ध है, क्योंकि किसी भी आधार पर स्वतंत्रता का अनुभव वामपंथ की जड़ तक खोखली करके रख देगा।

किसी भी प्रकार की समानता के कानूनी प्रयत्न राजनैतिक शक्ति में विस्तार करते हैं। यही कारण है कि हर राजनैतिक दल भिन्न–भिन्न मुद्दों पर समानता के आंदोलन खड़े करते रहते हैं। भारत में आप चाहे जिधर भी नजर उठाकर देखें, यदि किसी प्रकार की समानता के पक्ष मे कोई प्रत्यक्ष आंदोलन देखें, यदि किसी प्रकार की समानता के पक्ष में कोई प्रत्यक्ष आंदोलन सक्रिय है तो वह आंदोलन राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ही होगा। जिसका सीधा–सीधा अर्थ है सामाजिक स्वतंत्रता में कटौती करके कुछ और शक्ति सत्ता को सौंपना और इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि राजनीतिक सफलता के हथियार के रूप में समानता सबसे अधिक सफल हथियार है। समानता के नाम पर वर्ग निर्माण वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष में विस्तार इसके माध्यम हैं। धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रीयता, उम्र, लिंग, गरीब, अमीर, उत्पादक उपभोक्ता जैसे आठ इसके आधार है। जो व्यक्ति या संगठन इन आठ आधारों पर समानता के पक्ष में जितनी ही मजबूत और सफल आवाज उठा सकेगा वह उतना ही अधिक राजनैतिक असमानता बढ़ाने में सफल हो सकेगा जिसका अर्थ होगा समाज की गुलामी और सत्ता के अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप में वृद्धि। वैसे तो भारत में सभी राजनैतिक दल समानता शब्द का महत्व समझ गये हैं और उपयोग भी करने लगे हैं किन्तु वामपंथी इस दिशा में सबसे अधिक माहिर है। कोई अन्य दल इतनी सफाई से इस शब्द का लाभ नहीं ले

पाता जितना वामपंथी ले पाते हैं। वामपंथी समानता शब्द का बेहतर मैंनेजमेंट जानते है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि यदि श्रम बढ़ा, आर्थिक असमानता घटी या देश का निचले तबके का आर्थिक विकास हुआ तो भारत में साम्यवाद की संभावनाओं पर बुरा असर स्वाभाविक है। यह एक स्थापित सच्चाई है कि कृत्रिम ऊर्जा श्रम शोषक है आर्थिक असमानता को बढ़ाती हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमजोर करती है। सभी साम्यवादी पूरी ताकत से कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य का विरोध करते हैं, किन्तु कृषि उत्पादन साईकिल, वन उत्पादन पर लगने वाले टैक्सों का उतना मुखर विरोध नहीं करते हैं। जबकि शिक्षा की की अपेक्षा श्रम के महत्व वृद्धि का अधिक अनुकूल प्रभाव होता है। यदि भारत के सब लोग आठवीं पास हो जावें किन्तु श्रम की मांग और मूल्य न बढ़े तो यह कोई आदर्श स्थिति नहीं होगी। साम्यवादियों ने योजना पूर्वक असमानता के नाम पर वर्ग संघर्ष को बढ़ाया और वर्ग समन्वय या समाधान में रोड़े अटकाए। यह अलग बात है कि उनके प्रयत्नों का लाभ नक्सलवादी उठा ले गये और वे हाथ मलते रह गये।

समानता की बात करने वाला कोई भी राजनेता यह नहीं सोचता कि समाज के अधिकार निकल–निकल कर राजनीति या राजनीतिज्ञों के पास सिमटना असमानता है या नहीं। एक साधारण नागरिक इस बात का निर्णय भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि वह कौन सा नमक खाये। राज्य और समाज के बीच अधिकारों की असमानता लगातार बढ़ रही है। प्रतिदिन राज्य उस दूरी को बढ़ा रहा है। भारत की संसद लगातार कुछ परिवारों में सिमट रही है। राजनैतिक शक्ति प्राप्त होते ही जितनी तेज गति से आर्थिक सामाजिक सम्मान और सूविधा में वृद्धि होती है उतनी तीव्र गति से और कहीं नहीं होती। ट्रेन में एक सज्जन आर्थिक असमानता के विरूद्ध बहुत लम्बा भाषण दिये जा रहे थे। उनका तर्क था कि धन संग्रह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मैंने उनसे पूछा कि मायावती जी ने धन के आधार पर सत्ता इकट्ठी की या सत्ता के आधार पर धन। वे उत्तर नहीं दे सके। बाद में पता चला कि वे स्वयं भी आर्थिक असमानता के आधार बनाकर राजनैतिक सत्ता इकट्ठी करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज भारत में आर्थिक असमानता के विरूद्ध आवाज उठाने वाला एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजनैतिक शक्ति की असमानता की भी बात उठाता हो। समानता शब्द पूरी तरह राजनीति के खेल में फुटबाल की तरह उपयोगी हो गया है जिसका सारा लाभ खिलाड़ी उठा रहे हैं और हमें मैदान के बाहर ताली बजाने का दायित्व सौंप दिया गया है।

अब समानता शब्द को नये ढंग से परिभाषित करने की आवश्यकता है। राजनेताओं ने समानता का अर्थ सामाजिक, आर्थिक समानता के साथ जोड़कर राजनैतिक असमानता को बाहर रख लिया है। अब असमानता के साथ राजनैतिक आर्थिक सामाजिक तीनों शब्दों समान रूप से प्रभावी होने चाहिए। भारत का सामाजिक परिवेश राजनीति के खेल का मैदान नहीं है, बल्कि एक धरोहर के रूप में है जिसके निर्माण में राजनैतिक लोगों को भी त्याग करना होगा। हमारे preamble में जिस बंधुता शब्द को सर्वाधिक महत्व दिया गया है उस बंधुता की ही राजनीति के खिलाड़ियों द्वारा बलि चढ़ाई जा रही है और बलि चढ़ाने में preamble के ही एक शब्द समता को हथियार बनाया जा रहा है जो घातक है।

अब समानता की नई परिभाषा विकसित करें सक्षमों को समान स्वतंत्रता और अक्षमों को समान सुविधा पूरे भारत की कुल आबादी के दो भाग करें। सक्षम और अक्षम। यह सीमा रेखा क्या हो यह शासन तय करे। उस सीमा रेखा के ऊपर वालों को कोई सुविधा न दे। नीचे वालों को समान सुविधा दे दे। किसी को कोई विशेष सुविधा न ऊपर को दें न नीचे वालों को। ऐसी परिभाषा बनते ही राजनैतिक सत्ता के लिए समानता शब्द का उपयोग बेमानी हो जायेगा। इस व्यवस्था से आरक्षण भी निरर्थक हो जायेगा और वर्ग संघर्ष भी वर्ग समन्वय में बदल जायेगा। इस परिवर्तन से अक्षम लोगों को आंशिक सुविधाएं मिलने की गारण्टी हो जायेगी और राजनैतिक छेड़छाड़ भी कम हो जायेगी। जो लगातार कुछ परिवारों में सिमट रही है। राजनैतिक शक्ति प्राप्त होते ही जितनी

तेज गति से आर्थिक सामाजिक सम्मान और सुविधा में वृद्धि होती है उतनी तीव्र गति से और कहीं नहीं होती।

इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम समानता शब्द का उपयोग करने में अधिकाधिक सतर्क रहें जिससे राजनीतिज्ञ इस प्रयत्न का दुरूपयोग करने में सफल न हो सके।

(ख) **आदरणीय अश्विनी कुमार जी,**
पंजाब केसरी, सम्पादक

बीस सितम्बर दो हजार सात के पंजाब केसरी में आपका सम्पादकीय बाबा! कुछ आज दिला पेट के लिए शीर्षक से पढ़ा।

किसी भी सम्मानित अखबार के सम्पादकीय की तो बात ही और है। जब मैं सरगुजा जिला छत्तीसगढ़ में रहता था तब दिल्ली के कई विद्वान अश्विनी जी के सम्पादकीय की कटिंग मुझे पढ़ने के लिए भेजते थे। मैं ज्ञानतत्व में कई बार इसका उल्लेख भी किया है। किन्तु आर्थिक विषयों पर अश्विनी जी के सम्पादकीय पढ़ने से ऐसा प्रभाव पड़ा कि या तो अश्विनी जी के आर्थिक विषयों पर सम्पादकीय कोई और लिखता है या अश्विनी जी को आर्थिक विषयों की जानकारी में तीन आर्थिक निष्कर्ष निकाले।

आपने अपने सम्पादकीय में तीन आर्थिक निष्कर्ष निकाले।

1– चीन युद्ध के बाद महंगाई चालीस गुना बढ़ी है जिसके कारण आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।

2– पिछले 8 वर्षो में गेहूँ के समर्थन मूल्य में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब सरकार उसे और बढ़ा रही है जिसका बुरा प्रभाव आम लोगों पर होगा।

3– किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए सस्ती बिजली, सस्ता पानी उपलब्ध कराया जावे।

मैं इन तीन की प्रामाणिकता पर विचार करूँ। महंगाई की न कोई परिभाषा है न अस्तित्व और न ही प्रभाव। यह शब्द भ्रमजाल है या आर्थिक असमानता और श्रम शोषण के विरूद्ध बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों का सुनियोजित षड्यंत्र। कुछ वस्तुएं महंगी होती है और कुछ सस्ती। इन सबका औसत महंगायी कहा जाता है जिसे दूसरे शब्दों में मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति और महंगाई एक शब्द है जिसका औसत परिवार पर कोई प्रभाव नहीं होता। कमर तोड़ महंगाई मुद्रास्फीति की दर बढ़ाने से आम नागरिक बेहाल आदि रोज–रोज के भाषण लेख आदि सब पेशेवर भ्रम उत्पादन के अतिरिक्त कुछ नहीं। मान लीजिए की एक आदेश के द्वारा सौ रूपये को एक रूपया लिखना शुरू कर दे तो क्या भारत में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा आम लोगों पर? यदि चीन युद्ध के बाद अब तक चालीस गुनी महंगायी बढ़ी जिसका आम लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा तो आप बताइये कि वह प्रभाव कितने गुना पड़ा और यदि पड़ा तो विकास दर क्या है? और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? मेरे विचार से ये सभी निष्कर्ष या शब्द अर्थहीन हैं।

महंगी वस्तुएं होती हैं। इसके सूत्र बने हुए है। किसी निश्चित वर्ष का उस वस्तु का मूल्य उस वर्ष से लेकर आज तक की चक्रवृद्धि मुद्रास्फीति–आज का उस वस्तु का बाजार मूल्य बराबर वस्तु महंगी हुई या सस्ती। स्वतंत्रता के बाद से आज तक सोना, चांदी, जमीन, और सरकारी कर्मचारियों का वेतन महंगा हुआ है। दालें, खाद्यतेल, कृत्रिम ऊर्जा आदि स्थिर है। अनाज, कपड़े आदि सामान्य जीवनोपयोगी वस्तुएं सस्ती हुई है तथा पेन, रेडियों, घड़ी, इलेक्ट्रानिक सामान बहुत सस्ता हुआ है। सोना, चांदी और जमीन के महंगे होने के कारण विशेष चिन्ता की बात नहीं।

आपने चीन युद्ध से गेहूँ के भाव की तुलना की। उस समय गेहूँ का आटा पंद्रह रूपये मन अर्थात 37.50 प्रति क्विंटल था। मुझे याद है कि उस युद्ध काल में अनाज की कमी हो गयी थी। सरकारी गेहूँ पन्द्रह रूपये मन था। ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों में भी यही भाव था किन्तु शहरी क्षेत्रों के बाजारों में मूल्य इससे काफी अधिक था। आज सरकारी गेहूँ 750/– रूपया लिखकर चालीस गुना मूल्य वृद्धि करने की बाजारू भाषा का उपयोग किया है जो उचित नहीं सच्चाई यह है कि सन् बासठ से आज तक मुद्रा का अवमूल्यन करीब चालीस गुना हुआ है। इसका अर्थ है कि गेहूँ का मूल्य 37.50

गुणा 40 बराबर 1500 रूपये प्रति क्विंटल सामान्यतया होना चाहिए जबकि आज बोनस मिलाकर 850 रू. है और उसके बाद भी आप महंगायी का रोना रो रहे हैं।

तीसरी बात आपने लिखी कि किसानों को राहत देने के लिए डीजल, बिजली, खाद और पानी को सस्ता कर दें। यह सुझाव तो और भी गलत है। यदि आपने बिजली, डीजल को सस्ता कर दिया तो किसानों का राहत होगी, परन्तु श्रम मूल्य पर उसका दुष्प्रभाव होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसी वस्तुओं पर सब्सिडी देने के नाम पर सब तरह की कृषि उपज पर भारी कर लगाये जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में साईकिल पर भी ढ़ाई तीन सौ रूपया प्रति साईकिल कर लगता है और उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। सब प्रकार के कृषि उपज पर कर लगाकर बिजली, डीजल को सस्ता करने के लिए किसानों को ढाल बनाने के षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल हैं। कोई भी बुद्धिजीवी इसकी पहल करने को तैयार नहीं।

आज भारतीय अर्थव्यवस्था में दो पक्ष स्पष्ट दिखते हैं 1– ग्रामीण गरीब श्रमजीवी उत्पादक 2– शहरी सम्पन्न बुद्धिजीवी प्रोसेसिंग में लगा हुआ। पहला वर्ग शोषित और तबाह है। दूसरा वर्ग लगातार मजबूत हो रहा है। पहला वर्ग शोषित और तबाह है। दूसरा वर्ग लगातार मजबूत हो रहा है। आपका सम्पादकीय पहले वर्ग को ढाल बनाकर दूसरे वर्ग को मजबूत कर रहा है। जीवन भर आर्य समाज से जुड़े होने के कारण मेरे मन में पहले वर्ग के शोषण के विरूद्ध गहरा क्षोभ है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप जान–बूझकर ऐसा नहीं करते होंगे। किन्तु यदि कहीं भूल हो रही है तो सतर्क करना मेरा कर्तव्य है। यदि इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष चर्चा करनी हो तो आपकी सूचना अनुसार मैं आकर मिल भी सकता हूँ। आशा है कि आप आर्थिक विषयों पर कलम चलाने से पूर्व ग्रामीण गरीब श्रमजीवी उत्पादकों का शोषित, पीड़िते तबाह चेहरा अपने सामने अवश्य रखेंगे।

(ग) **कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर–**

प्रश्न–1– लम्बे समय से ज्ञान तत्व पढ़ता हूं। पहले तत्वबोध नाम से आपके विचार छपते थे तब भी पढ़ता था। पहले तो मैं विचारों में नवीनता होने के बावजूद महत्वपूर्ण नहीं समझता था किन्तु जबसे आपने दिल्ली में चर्चा शुरू की है तबसे विचारों का महत्व भी पता चलने लगा है आपने आर्थिक विषयों पर भी मौलिक सोच प्रस्तुत की है तथा सामाजिक विषयों पर भी। साईकिल पर टैक्स और रसोई गैस पर सब्सिडी का आपका प्रश्न ऐसा है कि इतने वर्षो से उठने के बाद भी न वामपंथी ही उत्तर देने की हिम्मत करते हैं न ही दक्षिणपंथी। यह प्रश्न उठते ही सब चुप हो जाते हैं। महंगाई के संबंध में भी आपकी सोच अद्वितीय है। किन्तु पिछले दिनों ज्ञानतत्व एक सौ उन्चालीस चालीस में आपने लोकतंत्र के विषय में जो दो लेख लिखे उन लेखों ने आपके चिन्तन को राष्ट्रीय सीमाओं से निकाल कर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहुंचा दिया है। आज तक लोकतंत्र और तानाशाही की न तो इतनी स्पष्ट व्याख्या सुनने को मिली न ही उसके प्रभाव पर कोई गंभीर चिन्तन हुआ। अपने जिस तरह लोकतंत्र के नाम पर राजनैतिक दलों की आंतरिक दलों की आंतरिक तानाशाही को स्पष्ट किया है वह बिल्कुल नग्न सत्य है। किन्तु आपने यह भी लिखा है कि लोकतंत्र में अव्यवस्था निश्चित है और सफलता के लिए तानाशाही का आश्रय लेना दलों की भी मजबूरी है और राष्ट्रों की भी। आपके दोनों लेख पढ़कर स्पष्ट होता है कि आप लोक स्वराज्य का आदर्श व्यवस्था मानते हैं किन्तु लोकतंत्र और तानाशाही के बीच आप स्पष्ट नहीं कर सके कि क्या उचित है क्या नहीं। जनता दल यू लोकतंत्र का एकमात्र संवाहक है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी राह पर चलकर पिछड़ने की दिशा में अग्रसर है। अन्य सभी दल एक व्यक्ति की तानाशाही तले लोकतंत्र का ढोंग करते हुए प्रगति कर रहे हैं। आपके लोकतंत्र के विषय में निकले निष्कर्ष गंभीर विचार मंथन की आवश्यकता सिद्ध कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप इस विषय पर विचार मंथन को और आगे बढ़ाने की कृपा करें।

आप ऐसे गंभीर तात्कालिक विषयों पर लिखते रहते है जो न किसी किताब में मिलता है न ही किसी अन्य विद्वान की सोच में। आपके चिन्तन का आधार क्या है यह भी बताने की कृपा करें। आपको गंभीर विषयों पर विचार देते हुए बहुत वर्ष बीत गये किन्तु आज तक किसी विद्वान ने

न इन विचारों को स्वीकार किया न प्रतिरोध। एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ है। इन विचारों का भविष्य में समाज में क्या और कैसे उपयोग संभव है?

उत्तरः– आपने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं–

1– मेरे चिन्तन का आधार क्या है? अब तक किसी भारतीय विद्वान ने भी इस दिशा में मंथन की आवश्यकता क्यों नहीं समझी?

2– इन विचारों का समाज में क्या और कैसे उपयोग संभव है?

3– लोकतंत्र और तानाशाही के अपने–अपने गुणदोष अलग–अलग हैं। हम अपने व्यक्तिगत पारिवारिक से लेकर राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों तक किस मार्ग पर चलने का प्रयास करें?

1– मेरें चिन्तन का आधार क्या है यह मूझे मालूम नहीं है क्योंकि मैनें स्वयं कोई विशेष विद्वता प्राप्त नहीं की है। मैं नहीं कह सकता कि यदि मैं और अधिक पढ़ा होता तो वह शिक्षा मेरे ज्ञान में साधक होती या बाधक क्योंकि मैं कई नामी–गिरामी विद्वानों से चर्चा करता हूं तो उनके अनेक तर्क मुझे बचकाने लगने लगते हैं। वे लोग भी चर्चा के बाद ऐसा महसूस करते है।

मेरे जीवन में कुछ बातें भिन्न रहीं। मेरी कला में कभी रूचि नहीं रही। कला प्रदर्शन से मेरी दूरी बनी रही। मैंने तत्व को समझने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप साहित्य में भी मेरी रूचि नहीं रही।

मैं समझता हूं कि एकान्त वातावरण चिन्तन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्राचीन समय में भी विचारक भीड़ भाड़ से दूर रहते थे। मुझे भी वह अवसर मिला जो चिन्तन में सहायक हुआ। मै यदि ग्रामीण क्षेत्र में न रहकर किसी बड़े शहर में रहता तो जल्दी प्रसिद्धि पा सकता था किन्तु न चिन्तन में गंभीरता होती न निष्कर्ष में। मैं जबसे दिल्ली आया हूं तबसे सम्पर्क बढ़ा है, प्रसिद्धि भी बढ़ी है किन्तु चिन्तन में बाधा हुई है। मैंने जीवन में महापुरूषों के विषय में बहुत कम पढ़ा और जाना। ग्रामीण परिवेश और संशाधनों का अभाव बना रहा। किन्तु महापुरूषों ने अपने जीवन में जो निष्कर्ष निकाले उनकी मोटी–मोटी बातें मैंने पढ़कर या सुनकर समझ ली। अन्य विद्वान लोगों को इस दिशा में कोई निष्कर्ष निकालने में इसलिए कठिनाई होती है कि वे स्वयं निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा अन्य विद्वानों के निष्कर्षो को आधार बनाकर चलते हैं। एक घटना से आप समझ सकते है कि मैं छठवीं कक्षा में पढ़ रहा था। गणित की परीक्षा का पूरा प्रश्न पत्र हमें एक दिन पूर्व ही मालूम हो गया और सब बच्चों ने उत्तर बना लिया। जब परीक्षा हाल में हल किया गया तो प्रश्न पत्र वही होते हुए भी निष्कर्ष अलग आये। अन्य बच्चों ने पूर्व के निष्कर्षो को सही मान लिया और मैंने परीक्षा हाल के निष्कर्षो को ही मजबूरी मानकर उन्हें ही लिख दिया। बाद में पता चला कि भेद खुलने पर परीक्षक ने उस प्रश्न पत्र में कहीं–कहीं फेर–बदल कर दिया था। परिणाम हुआ कि पूरी कक्षा में मैं अकेला ही पास हुआ। मेरा आज भी वह स्वभाव बना हुआ है कि मैं विद्वानों के निष्कर्षो को विचार का आधार तो बनाता हूॅ किन्तु निष्कर्षो का आधार नहीं बनाता। सारी दुनिया के विद्वान एकमत हैं कृत्रिम ऊर्जा की मूल्य वृद्धि घातक है। भारतीय विद्वान भी एक मत इससे सहमत हैं। मैं अकेला खड़ा हूॅ कि कृत्रिम उर्जा मूल्य नियंत्रण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। इसी तरह भारत के सभी विद्वान और महापुरूष एकमत हैं कि चरित्र निर्माण समस्याओं का समाधान है। मैं इसके विपरीत मानता हूॅ कि चरित्र निर्माण समाधान नहीं है। समाधान है व्यवस्था परिवर्तन। भारत की सभी संस्थाएं शिक्षा पर जोर देती है जबकि मैं अकेला ही कह रहा हूॅ कि शिक्षा की अपेक्षा श्रम को आधार बनाना चाहिए। और भी कई बातें हैं।

मेरे विचार समाज के लिए कितने उपयोगी है यह भविष्य बतायेगा। मैं तो आश्वस्त हूॅ कि ये निष्कर्ष समाज के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए मैंने रामानुजगंज के गंभीर चिंतन में व्यवधान डालकर दिल्ली रहना तय किया है। इन विचारों से लाभ उठाने के लिए समाज में विचार मंथन की प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

आपका लोकतंत्र और तानाशाही के संबंध में प्रश्न गंभीर है। दोनों के अपने–अपने गुण–दोष है। लोकतंत्र में अव्यवस्था है, झगड़े हैं, विकास अवरूद्ध होता है। तानाशाही में गुलामी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। किन्तु व्यवस्था है, विकास ठीक होता है, झगड़े कम होते हैं। मैंने

अपने पारिवारिक जीवन में दोनों स्थितियों का व्यापक अनुभव किया है। मैं पहले परिवार का तानाशाह मुखिया था। पूरा परिवार एकजूट था। एक प्रसिद्ध गांधीवादी विचारक ने मुझे लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का महत्व समझाया। मैनें धीरे–धीरे अपने पारिवारिक जीवन में लोकतंत्र का प्रयोग किया। परिणाम हुआ कि मेरा पूरा परिवार आठ खण्ड हो गया। सब लड़के और भाई अलग–अलग हो गये। परिवार का समाज में प्रभाव घटा क्योंकि प्रभाव कई भाग में बंट गया। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। पहले जो लोग आन्तरिक स्थिति में दुखी रहते थे उनका जीवन स्तर सुधरा। कुल मिलाकर कितना अच्छा हुआ कितना बुरा यह निश्चित रूप से यह अभी बताना संभव नहीं। फिर भी मेरा अपना अनुभव बताता है कि तानाशाही की अपेक्षा लोकतंत्र अधिक अच्छा है यदि उसे जीवन पद्धति की दिशा में बढ़ने दिया जावे और जीवन पद्धति में लोकतंत्र तानाशाही के वातावरण में कभी आगे नहीं बढ़ सकता।

आपने हमारे प्रयत्नों की सफलता का भविष्य पूछा है। मेरे विचार में भविष्य अच्छा ही होगा। इसके कई कारण है।

1– हम किसी महापुरूष का अनुकरण न करके मौलिक चिन्तन कर रहे हैं। इस चिन्तन के कई निष्कर्ष राष्ट्रीय सीमाओं से भी आगे जाकर विश्वस्तरीय हैं। हम विश्व स्तरीय परिभाषाओं तक को चुनौती दे रहे हैं।

2– हमारी विश्वसनीयता संदिग्ध नहीं है, क्योंकि हम किसी विदेशी या भारतीय पूंजीपति से कोई गुप्त धन द्वारा सहायता नहीं ले रहे हैं।

3– हम किसी स्थापित विचार से प्रतिबद्ध नहीं है।

4– हम कोई ऐसा व्यक्तिगत आचरण नहीं कर रहे हैं जिसके प्रकाश में आने से हमारे किसी साथी या समर्थक को शर्मिन्दा होना पड़े। फिर भी हमारे समक्ष एक संकट अवश्य है कि हमारे साधन सीमित हैं तथा काम कठिन है। हमारे लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि अन्य कोई संस्था ऐसी नहीं है जो इस दिशा में लेश मात्र भी आगे बढ़ रही हो। इसलिए चूंकि मार्ग एक ही है इसलिए समय कम लगेगा या ज्यादा इसकी अधिक चिन्ता न करके आगे बढ़ने का प्रयत्न जारी रहना चाहिए।

प्रश्न– 2– जनसत्ता छः अक्टूबर में बसंत पाण्डेय जी का एक गंभीर लेख छपा है जिसमें गांधीवादियों के किया–कलापों पर गंभीर प्रश्न उठाये गये हैं। आप भी ऐसी बातों पर बहुत सोचते रहते हैं। आप पाण्डेय जी के विचारों से कितना सहमत हैं?

उत्तर– मैंने आप द्वारा भेजी गयी बसंत पाण्डे जी के लेख की छायाप्रति को पढ़ा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं–

1– विनोबा सहित सभी गांधीवादी गांधी को मानकर चले, समझकर नहीं। लोहिया और जयप्रकाश उन्हें समझकर चले। इन दोनों में भी जयप्रकाश जी की अपेक्षा लोहिया जी की सोच अधिक साफ थी। परन्तु सर्वोदय ने लोहिया जी को उचित महत्व नहीं दिया।

2– गांधी के सभी शास्त्रों की बात करें तो उसमें नारी दलित उत्थान, सामाजिक एकता, मातृभाषा प्रेम, नई तालीम, राष्ट्रभाषा प्रचार, आदि शामिल है। कांग्रेस ने तो इन कार्यो से किनारा किया ही, सर्वोदय ने भी इस संबंध में सफल सक्रियता नहीं दिखाई। सेवाग्राम आश्रम और वर्धा जिले के आस–पास शराब का विस्तार सर्वोदय की असफलता बताने के लिए पर्याप्त उदाहरण हैं। प्रश्न जुड़ी संस्थाओं की सक्रियता क्या है। इन गांधीवादियों को समाज में बढ़ रही भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जनसंख्या आदि जैसी विकराल समस्याएं दिख क्यों नहीं रहीं।

3– सेवाग्राम आश्रम और जिला महात्मा गांधी का कार्यक्षेत्र रहा है। स्वतंत्रता संघर्ष संचालन यहीं से हुआ। वर्धा के विकास के लिए सन् साठ के बाद वर्धा विकास प्लान बना जो ठंडे बस्ते में चला गया। बसंत साठे ने फिर जिन्दा किया किन्तु अब तो वह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। सर्वसेवा संघ और सर्वोदय के लोगों ने इस प्लान के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किया।

4– गांधी जनों ने सत्ता से बेरूखी करके जो भूल की वह सुधार कर अब सत्ता की ओर देखने का समय है। साम्राज्यवादी शक्तियां अब बाजार पर नियंत्रण करके आ रही है। क्या गांधी जन इसी तरह चुप बैठे रहेंगे।

इन चार प्रश्नों पर हम व्यापक चर्चा करें–

1– विनोबा, जय प्रकाश और लोहिया जी के बीच लोहिया जी को आगे रखने से मैं सहमत नहीं हूँ। विनोबा जी सत्ता की ओर देखते ही नहीं थे यह उनकी कमजोरी थी। लोहिया जी सत्ता संघर्ष में दिन–रात लगे थे यह उनकी कमजोरी थी। जय प्रकाश जी सत्ता संघर्ष से दूर रहकर राजनीति पर अंकुश का बात सोचते थे। मैं सोलह वर्ष की उम्र से ही लोहिया जी के आंदोलन से जुड़ा। लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया जिसके साथ मैं सन् चौरासी तक चिपका रहा। लोहिया जी की अनेक अच्छाइयें के बाद भी गैर कांग्रेस वाद के नारे में चौरासी के बाद हमें निरर्थकता ही महसूस हुई। इस नारे में नेहरू या कांग्रेस विरोध का भाव तो छिपा था किन्तु कोई सिद्धान्त नहीं। यदि विनोबा जी पर नेहरू और कांग्रेस के प्रति लगाव का आरोप है तो लोहिया जी भी विरोध की भावना के आरोप से बच नहीं सकते।

लोहिय जी ने अपनी अर्थनीति में कृत्रिम ऊर्जा ने अपना भरपूर घातक प्रभाव बना लिया है। लोहिया जी जीवन भर दाम बांधो, वेतन की सीमाएं तय करो, करखनिया उत्पादन और कृषि उत्पादन के मूल्यों का उचित अनुपात बने जैसे मुद्दे उठाते रहें किन्तु क्या कभी उन्होंने यह भी सोचा कि ऐसे आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप वर्ष से शासन भी अधिक मजबूत होगा। लोहिया जी ने कभी ग्रामीण उत्पादन और ग्रामीण उपभोक्ता वस्तुओं पर कोई कर न लगाने का मुद्दा नहीं उठाया। लोहिया जी ने चौखम्भा राज्य की बात कहकर विकेन्द्रित शासन व्यवस्था की बात तो कि किन्तु दाम बांधने और वेतन विसंगति दूर करने का काम कौन सा खम्भा करेगा यह स्पष्ट नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि आर्थिक मामलों में जय प्रकाश जी भी जीवन भर भ्रम में रहे किन्तु लोक स्वराज्य की जो अवधारणा जे.पी. ने सन् साठ के पूर्व ही लिखित पुस्तक में बताई उतनी साफ लोहिया जी नहीं बता सके। मैं लोहिया जी के विचारों को नजदीक से समझा और जे.पी. के बहुत बाद और दूर से जे.पी. ने सहभागी लोकतंत्र की जो बात उस समय लिखी वह ग्राम स्वराज्य के विषय में अब तक लिखी सर्वाधिक स्पष्ट अवधारणा है। मुझे दुःख है कि मैं जे.पी. आंदोलन से जुड़ा होने के बाद भी दो हजार दो के बाद ही उनकी यह पुस्तक पढ़ पाया। और तब समझ पाया कि जे.पी. को यदि मैं बहुत पहले ही पढ़ पाता तो उसका बहुत लाभ होता। मैं आपके इस कथन से सहमत हूँ कि गांधीवादी गांधी को मानकर चले समझकर नहीं। प्रश्न यह उठता कि आप स्वयं गांधी जी को मानकर चल रहे हैं या समझकर। मुझे लगता है कि वही मानने वाली भूल आप भी कर रहे हैं जो उन सबने की है।

2– गांधी जी sociopolitical नेता थे। विनोबा जी सिर्फ social तक सीमित रह गये और लोहिया जी सिर्फ political नेता रहे। बसंत पाण्डे जी तो वहां तक भी नहीं पहुंच सके। विनोबा जी या गांधीवादियें ने कभी राजनैतिक उद्दश्यों के लिए समाज सेवा का ढोंग नहीं किया किन्तु पाण्डे जी के लेख में राजनीति की भरपूर गंध आती है। पाण्डे जी ने गांधी जी के कई शास्त्रों का तो उल्लेख किया। किन्तु एक शास्त्र को भूल गये जो सब शास्त्रों की जड़ है और जिसका नाम है ग्राम स्वराज्य। स्वतंत्रता के पूर्व गांधी जी निरन्तर हिन्द स्वराज्य की बात करते रहे और स्वतंत्रता के बाद ग्राम स्वराज्य लोक स्वराज्य की। लोहिया जी को ग्राम स्वराज्य याद रहा और जे.पी. को लोक स्वराज्य। किन्तु पाण्डे जी को ये दोनों शब्द याद नहीं रहे। जो भी व्यक्ति गांधी की चर्चा करे और लोक स्वराज्य ग्राम स्वराज्य की बात न करे उस पर संदेह होता है। गांधी हिन्द स्वराज्य संघर्ष के आधार पर गांधी बने थे, शराब बन्दी अछूतोंद्धार, भाषा प्रेम आदि तो मात्र सहायक आधार थे मुख्य नहीं। आज के लोग लोक स्वराज्य ग्राम स्वराज्य को भूलकर अन्य कार्यो के आधार पर गांधी बनना चाहते हैं और असफल होने पर एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं यह ठीक नही। बहुत से लोग तो गांवों को निर्णय करने की स्वतंत्रता की जगह ग्राम स्वावलम्बन नशामुक्ति अछूतोद्धार

आदि को ही गांधी का ग्राम स्वराज्य कहना शुरू कर देते हैं। पाण्डे जी ने कम से कम ऐसी तो धृष्ठता नहीं की।

गांधी जी नीतियां ग्राम स्वराज्य के लिए संघर्ष की थी और सक्रियता समाज सुधार के लिए। लोहिया जी और जय प्रकाश जी भी इसी दिशा में सक्रिय रहे। सर्वोदय के लोगों ने सिर्फ समाज सुधार में सक्रियता दिखायी, ग्राम स्वराज्य संघर्ष के लिए वे निष्क्रिय रहे। किन्तु बसंत पाण्डे जी किस दिशा में सक्रिय है यह मैं नही जान सका। यदि सर्वोदय के लोग वर्धा के आस–पास शराब नहीं बन्द करा सके तो उनकी असफलता की आलोचना वह व्यक्ति कैसे कर सकता है जो उतना भी नहीं कर सका हों। सर्वोदय ने शराब बन्दी का प्रयास तो किया और अब भी कर रहे हैं किन्तु प्रश्नकर्ता पाण्डे जी को शराब बन्दी में अब तक कितनी सफलता मिली यह मैं नहीं जान सका। यह शराबबन्दी की सफलता उन्हें भले ही और कहीं न मिली हो किन्तु अपने शहर के आस–पास तो अवश्य ही मिलनी चाहिए तभी तो वे सर्वोदय की असफलता पर प्रश्न कर सकेंगे अन्यथा निकम्मे लोगों में दूसरों की आलोचना का आजकल एक फैशन सा चल पड़ा है और कहीं वैसी ही धारणा पांडे जी के विषय में बनानी पड़े।

3– सेवाग्राम आश्रम और वर्धा जिले के विकास के लिए सेवाग्राम आश्रम के अतिरिक्त संस्थाएं पहल करें, सांसद महोदय प्लान पर जोर दें यह तो उचित भी है और स्वाभाविक भी। किन्तु आश्रम इसके लिए जोर दे यह उचित नहीं। गांधी जी ने वहां काम किया इसलिए गांधीवादी उस जिले के लिए अधिक चिन्ता करें यह गलत सुझाव आपको नहीं देना चाहिए था। मैं तो मानता हूॅ कि सर्वोदय ने ऐसा एकपक्षीय पक्षपात से स्वयं को दूर रखकर अच्छा ही किया है। बल्कि पिछले दिनों भारत सरकार से प्राप्त पांच करोड़ का आश्रम को मिला अनुदान भी वापस करके सर्वोदय जगत ने एक प्रशंसनीय पहल की है। ऐसी विस्तृत सोच वाली संस्था से वर्धा प्लान पर जोर दिलवाने की पहल नहीं करनी चाहिए।

4– गांधीजनों को सत्ता उन्मुख होने का आपका सुझाव अस्पष्ट है। तीन प्रकार की स्थितियां हैं।

1– सत्ता से निर्लिप्तता इस सीमा तक कि सत्ता पर कोई नियंत्रण ही न रहे।

2– सत्ता में भागीदारी इस सीमा तक कि सत्ता संघर्ष में कूद पड़ें।

3– राजनीति से दूर रहकर राजनीति पर अंकुश का अद्‌भूत प्रयास। अब तक सर्वोदय पहली लाइन पर चला। यही कारण है कि सर्वोदय के लोग अब तक राजनैतिक गंदगी के आरोपों से बचे रहे। विनोबा सरीखा प्रभावशाली व्यक्तित्व भी आरोप मुक्त जीवन जी सके यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आपका इशारा दूसरे प्रकार के प्रयत्नों के प्रति है तो मेरा विनम्र सुझाव है कि सर्वोदय इस कीचड़ से दूर रहे तो अच्छा है। यदि सर्वोदय ऐसी भूल कर जाता तो दुर्गति भी संघ के समान निश्चित थी। यदि आप तीसरे प्रकार का प्रयत्न चाहते हैं तो वह सर्वोदय शुरू कर चुका है। प्रतिनिधि वापसी का जय प्रकाश जी का मुद्‌दा और परिवार गांव जिले के अधिकारों की सूची को संवैधानिक अधिकार देने का आंदोलन यही तो है। लोक नियुक्त तंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र में बदलने हेतु दो सूत्री संविधान संशोधन अभियान तथा संविधान मंथन के प्रयत्नों में सर्वोदय के ही लोग तो मुख्य आधार है। गांधी जी और जय प्रकाश जी ने जिस निर्लिप्त संघर्ष की प्रेरणा दी थी वह भले ही विनोबा जी के समय में संघर्ष को छोड़कर निर्लिप्त तक सिमट गई हो किन्तु अब पुनः सर्वोदय निर्लिप्त संघर्ष की दिशा में बढ़ेगा इतना आप आश्वस्त रहें।

आपने सर्वोदय को साम्राज्यवाद से संघर्ष की लाइन बताने की भूल की है। यह लाइन बहुत घातक है। समाज को राजनैतिक रूप से गुलाम बनाकर रखने की इच्छा वाले सभी लोग स्वराज्य की लाइन से हटकर ऐसे कम महत्वपूर्ण नारों में सर्वोदय को उलझाना चाहते हैं। सच्चाई यह है कि राजनैतिक शक्ति का केन्द्रीयकरण आज की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे संघर्ष प्रारम्भ ही न हो यह सोचकर राजनीतिज्ञ ऐसे मुद्‌दे उठवाते रहते है। आपने जो मुद्‌दा उठाया है उस पर कम महत्वपूर्ण होते हुए भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूॅ कि सन इक्यान्नवे के पूर्व भारत में समाजवादी अर्थनीति में भारत में गरीबी बहुत अधिक थी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा था, सरकारीकरण भी बढ़ रहा था किन्तु आर्थिक असमानता कम थी और श्रमबुद्धि का अन्तर भी कम था। राष्ट्रीय विकास दर

कम थी। राष्ट्रीय अर्थ नीति की विश्व स्तर पर पहचान कमजोर थी। नई अर्थनीति मे ंजो इक्यान्नवे के बाद शुरू हुई उसमें पूंजीपति बहुत तीव्र गति से बढ़े हैं और गरीब मामूली सुधरे हैं। भ्रष्टाचार उसी गति से बढ़ रहा है, सरकारीकरण के स्थान पर निजीकरण हो रहा है, आर्थिक असमानता भी बढ़ी है और बौद्धिक शारिरीक श्रम असमानता भी। राष्ट्रीय विकास दर भी बहुत तेज है और राष्ट्र की आर्थिक पहचान भी मजबूत है। नई अर्थनीति के विरोधी कई विलल्प नहीं बता रहे। पुरानी अर्थनीति में गरीब–अमीर दोनों तबाह थे जबकि नई अर्थनीति में पूंजीपति वर्ग बहुत तरक्की कर गया किन्तु गरीब ग्रामीण श्रमजीवी वहीं का वहीं है। नई अर्थनीति को गाली देने का अर्थ यदि पुरानी का समर्थन है तो वह तो और भी घातक होगा। पुरानी अर्थनीति पर तो लौटा नहीं जा सकता। इतना जरूर है कि नई अर्थव्यवस्था को बदलकर पूंजीवाद, समाजवाद के नारों से मुक्ति मिलना चाहिए। जो लोग नई आर्थिक नीतियों को गाली देकर पुरानी पर लौटना चाहते हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, अमेरिका को गालियां देने वालों द्वारा विकल्प के साथ सुझाव न देने से जो संदेह होता है वही संदेह मुझे पाण्डे जी के विषय में हो रहा है। अपेक्षा है कि पाण्डे जी ने सर्वोदय के लिए जो प्रश्न उछाले हैं उनका पहले स्वंयं उत्तर खोजने की कृपा करेंगे।

(घ) **प्रश्नोत्तर**

1. प्रश्न– श्री धर्मवीर शास्त्री, पुरैनी बाजार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश।

सुझाव– सोलह अक्टूबर की बैठक में अच्छी चर्चा हुई। किन्तु व्यवस्था परिवर्तन अभियान का सदस्यता शुल्क एक सौ रूपया मासिक या एक हजार रू. वार्षिक या चार हजार रू. एकमुश्त बताया गया जो बहुत अधिक है। गरीब आदमी कहां से दे पायेगा। यदि यह शुल्क एक सौ रू. वार्षिक होता तो अच्छा होता। अपने विचार भेंजे।

उत्तर– हम चार प्रकार के कार्यो से जुड़े हैं।

1– विचार परिष्कार या सामाजिक विचार मंथन

2– संविधान मंथन

3– समाज को राज्य की अपेक्षा संवैधानिक सशक्तीकरण

4– बुद्धिजीवियों तथा पूंजीपतियों को श्रम शोषण की नीतियों से दूर रहने की सदश्यता जागरण। ये चारों संगठन अपनी–अपनी सदस्यता का शुल्क तय कर सकेंगे, धन संग्रह कर सकेंगे। नीतियां बना सकेंगे, संगठन सम्बन्धी नियम बना सकेंगे, खर्च कर सकेंगे तथा हिसाब रख सकेंगे। इन चारों संगठनों को अपने संबंध में निर्णय करने की स्वतंत्रता होगी।

समाज में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो किसी संगठन के सदस्य नहीं होना चाहते न ही सक्रिय होना चाहते हैं किन्तु वे दूर रहकर भी इन चारों कार्यो की आर्थिक मदद करने में सुख का भी अनुभव करते हैं और आज समय की जरूरत भी मानते हैं। ऐसे निष्क्रिय शुभ चिन्तक व्यवस्था परिवर्तन अभियान को सहयोग करने के लिए उसके सदस्य बन सकते है। यह संगठन इन चार प्रकार के कार्यो में लगे संगठनों को आर्थिक सहायता कर सकता है तथा उनका मार्ग दर्शन कर सकता है किन्तु अन्तिम निर्णय उन संगठनों को अपना अपना होगा। किसी संगठन की सहायता करने न करने का व्यवस्था परिवर्तन अभियान का अपना स्वतंत्र निर्णय होगा।

व्यवस्था परिवर्तन अभियान की अपनी भूमिका सीमित है। इसका सदस्यता शुल्क एक हजार रू. मासिक रखने की योजना थी क्योंकि धन की आंदोलन में भूमिका है। इस भूमिका को पारदशी बनाया गया है। जो गरीब है उन्हें धन दान की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होना चाहिए। वे धन–दान के अतिरिक्त संगठनों में सदस्य बन ही सकते है। वैसे सामान्य धनवान के लिए भी एक सौ रू. मासिक कोई कठिन नहीं होगा।

गांधी जी ने अपने आन्दोलन में बिड़ला जी को इसका एकमात्र सदस्या बनाया था और जयप्रकाश जी ने गोयन का परिवार को। हम इस स्वतंत्रता संग्राम में बिड़ला गोयनका की जगह

सौ रू. मासिक तक को जोड़ रहे हैं। ऐसा करना हमारे लिए उचित भी है और मजबूरी भी। इस संबंध में यदि आपका कोई और सुझाव हो तो लिखिएगा।

(च) हिन्दी स्वराज्य विचार मंच–दिल्ली

प्रति,

प्राचार्य महोदय

.....

.....

.....

विषयः– अखिल भारतीय समाज विज्ञान
प्रतिभा प्रतियोगिता 2007

मान्यवर महोदय,

महात्मा गांधी की एक लघु किन्तु महत्वपूर्ण रचना हिन्द स्वराज्य आज से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी। हिन्द स्वराज्य के अनुसार सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विकेन्द्रीयकरण, आर्थिक और राजनीतिक केन्द्रीयकरण की सर्वभक्षी मनोवृत्ति का रामबाण इलाज है।

हिन्द स्वराज्य से प्रेरणा लेकर विकेन्द्रीयकरण का विचार एक नई दिशा के रूप में, नई पीढ़ी के विचार–मंथन में शामिल हो इस हेतु हिन्द स्वराज्य मंच– दिल्ली द्वारा यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय में यह प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति तथा प्रतियोगिता संचालन हेतु किसी व्यक्ति विशेष को दायित्व प्रदान करेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी।

प्रतियोगिता से सम्बन्धित नियम नीचे दिये जा रहे हैं–

1– पंजीयन शुल्क रू. 20– बीस रूपया मात्र प्रत्येक प्रतियोगी द्वारा देय होगा।

2– प्रतियोगिता का तिथिवार विवरण इस प्रकार है–

क. दि. 15 नवम्बर, 2007 तक प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक पंजीयन पत्र, उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र और स्त्रोत पुस्तक नई दिशा आदि सामग्री प्रतियोगिता के स्थानीय केन्द्र पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

ख– उत्तर पुस्तिका में उत्तर हस्तलिखित तथा हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में होना चाहिए।

ग– 20 नवम्बर, 2007 तक प्रतियोगिता स्थानीय प्रतियोगिता केन्द्र के संयोजक से संबंधित सामग्री प्राप्त कर लेंवे। उसी समय पंजियन पत्र भर कर पंजियन शुल्क जमा करना होगा।

घ– 30 नवम्बर 2007 तक प्रतियोगिता पूर्व में प्रदत्त प्रश्न पत्र हल करके अपनी उत्तर पुस्तिका स्थानीय प्रतियोगिता केन्द्र के संयोजक को निवार्यतः जमा करा देंगे।

ड.– उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य दि. 05.12.2007 तक स्थानीय संयोजक सम्पन्न कराकर स्थानीय स्तर पर हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियों के साथ समस्त उत्तर पुस्तिकाएं दि. 10.12.2007 तक दिल्ली कार्यालय को पहुंचा देंगे।

च– राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार हेतु प्रतियोगियों का चयन दि. 15.12.2007 तक सम्पन्न होगा।

छ– राष्ट्रीय पुरस्कार विवरण समारोह दिल्ली में सम्पन्न होगा जिसके स्थान व दिनांक सूचना बाद में दी जायेगीं।

3– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले प्रतियोगी को हिन्द स्वराज्य विचार मंच दिल्ली द्वारा प्रमाण पत्र दिया जायेगा। प्रमाण पत्र पर राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय संरक्षक तथा स्थानीय संयोजक के हस्ताक्षर अंकित होंगे।

4– किसी प्रतियोगिता केन्द्र/ महाविद्यालय पर प्रतियोगियों की संख्या 25 से न्यून होने पर उन प्रतियोगियों की उत्तर पुस्तिकाओं की किसी अन्य प्रतियोगिता केन्द्र की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ समायोजित कर प्रतियोगिता केन्द्र के स्तर पर उच्चतम प्राप्तांकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान का चयन किया जायेगा। चयनित प्रतियोगियों को स्थानीय साधनों के आधार पर निर्धारित की गयी राशि का पुरस्कार, स्थानीय संयोजक तथा राष्ट्रीय समिति की सहमति से निश्चित तिथि को आयोजित समारोह में दिया जायेगा।

5– किसी भी स्तर पर किसी भी प्रतियोगी या अन्य किसी व्यक्ति को पुस्तिकओं का मूल्यांकन एवं पुरस्कार हेतु प्रतियोगियों के चयन सम्बन्धी निर्णय पर कोई विरोध या आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा।

6– स्थानीय स्तर पर/ राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु चयनित उत्तर पुस्तिकाओं में से चयनित उत्तर अथवा सम्पादित अंश यथा सुविधा पाक्षिक पत्रिका ज्ञान तत्व में प्रकाशित किये जायेंगे।

7– देश के सभी प्रतियोगिता केन्द्र स्तर पर पुरस्कृत प्रतियोगिया की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर कराया जाकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त प्रतियोगियो का चयन किया जाकर उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया जायेगा। राष्ट्रीय पुरस्कारों की राशि निम्नानुसार होगी–

1– प्रथम पुरस्कार संख्या एक रू. 8000/–
2– द्वितीय पुरस्कार संख्या एक रू. 5000/–
3– तृतीय पुरस्कार संख्या एक रू. 3000/–
4– सान्त्वना पुरस्कार प्रत्येक रू. 1000/–

स्थानीय सम्पर्क सूत्रः–

1– नाम एवं पद स्थानीय संयोजक

.....
.....

दूरभाष नं. .....
मो. नं. .....

दिल्ली कार्यालय का पताः–

श्री ओम प्रकाश दुबे राष्ट्रीय संयोजक
मों. नं. 09868025483
का. का पता–बी–56 चौथी मंजिल जैन
मंदिर गली, शकरपुर, नई दिल्ली– 92
दूरभाषः 011– 22456856, 09968374100

निवेदक
ओम प्रकाश दुबे
राष्ट्रीय संयोजक
अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता
दिल्ली 2007

अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा
प्रतियोगिता 2007
हिन्दी स्वराज्य विचार मंच दिल्ली
विषय–आल इण्डिया सोशल साइन्स टेलेन्ट कम्पटीशन के
नियम एवं शर्तें

प्रति,

श्री.....

.....

जिला संयोजक महोदय,

अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता 2007

हिन्द स्वराज्य तात्कालिकता के साथ ही एक कालजयी रचना है। हिन्द स्वराज्य का मूल उद्देश्य है प्रत्येक अन्तिम आदमी को जीवन–यापन संबंधी अभावों से मुक्ति तथा आत्म सम्मान और मानवीय गौरव की अनुभूति प्राप्त हो।

औनिवेशिक काल में महात्मा गांधी के इन विचारों के अनुसार राज्य व्यवस्था बनना संभव ही नहीं था। आजादी के तुरन्त बाद गांधी जी की हत्या हो गई। गांधी जी के लोक स्वराज्य के विचारों को नेहरू, पटेल वाली राजनैतिक व्यवस्था ने लगभग पूरी तरह त्यागकर एक केन्द्रीयकृत सत्ता व्यवस्था वाला संविधान स्वीकार कर लिया।

इस केन्द्रीयकृत शासन व्यवस्था में वान्छित परिवर्तन हेतु महात्मा गांधी वर्तमान परिस्थितियों में क्या प्रयास करते यह एक काल्पनिक प्रश्न है। डॉ. लोहिया, जय प्रकाश नारायण जैसे जन नेताओं ने अपनी–अपनी तरह से समय–समय पर रोक लोक स्वराज्य अर्थात् सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के विषय को उठाया किन्तु यह विषय कभी जनआंदोलन का प्रमुख मुद्दा नहीं बन सका। हिन्द स्वराज्य से प्रेरणा लेकर एक नई दिशा का संदेश नई पीढ़ी के विचार–मंथन में शामिल हो इस हेतु हिन्द स्वराज्य मंच दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं

1– प्रत्येक प्रतियोगी को प्रवेश शुल्क रू. 20/– मात्र देना होगा।

2– प्रतियोगीगण पंजियन पत्र प्रतियोगिता के स्थानीय संयोजक से 20.11.2007 तक प्राप्त करेंगे तथा वांछित आपूर्तियां पूर्णकर रू 20/– प्रवेश शुल्क सहित तत्काल स्थानीय संयोजक को प्रदान करेंगे।

3– पंजियन उपरान्त प्रतियोगी को एक–एक स्त्रोत पुस्तक, प्रश्न पत्र, उत्तरपुस्तिका निर्देश एवं प्रश्न पत्र सहित स्थानीय संयोजक से निः शुल्क प्राप्त होगी।

4– अपने उत्तर लिखकर निर्धारित तिथि तक प्रतियोगी अपनी उत्तर पुस्तिका स्थानीय संयोजक को प्रदान करेंगे।

5– न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले प्रतियोगी को सफल माना जायेगा तथा उसे राष्ट्रीय समिति की ओर से प्रमाण–पत्र दिया जायेगा।

6– प्रतियोगियों के उत्तर हस्तलिखित एवं हिन्दी भाषा में ही होना चाहिए।

7– प्रत्येक जिले में सम्मिलित सफल प्रतियोगियों में से प्राप्तांको के आधार पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले प्रतियोगियों को जिला स्तर पर एक समारोह कर पुरस्कृत किया जायेगा। पुरस्कार का निर्णय एवं व्यवस्था स्थानीय समिति करेगी। तिथि का निश्चय दिल्ली कार्यालय की सहमति से किया जायेगा।

8– प्रत्येक जिला परीक्षा केन्द्र न्यूनतम संख्या 25 से कम नहीं से चयनित पुरस्कृत प्रतियोगियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन राष्ट्रीय समिति द्वारा कराया जाकर उनमें से प्रथम, द्वितीय और

तृतीय तथा पांच सांत्वना पुरस्कारों का चयन कर उन्हें निश्चित राशि के पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर पर समरोह आयोजन कर दिये जायेंगे।

तिथि तथा स्थान की सूचना बाद में दी जायेगी।

9– किसी भी स्तर पर किसी भी प्रतियोगी अन्य किसी व्यक्ति को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं पुरस्कार हेतु प्रतियोगियों के चयन करने हेतु मूल्यांकनकर्ताओं और चयनकर्ताओं के निर्णय पर आपत्ति या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

10– किसी भी प्रतियोगी के किसी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

11– जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रतियोगियों को देय प्रमाण–पत्रों की व्यवस्था राष्ट्रीय समिति की जायेगी। प्रमाण–पत्रों पर क्रमशः राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय संरक्षक एवं स्थानीय संयोजक के हस्ताक्षर अंकित होंगे।

अखिल भारतीय समाज विज्ञान प्रतिभा प्रतियोगिता– 2007

विषयः प्रश्न पत्र संबंधी निर्देश।

1– प्रश्नपत्र के पूर्णांक 50 है।

2– प्रश्नों के उत्तर हिन्दी भाषा देवनागरी लिपी में लिखना अनिवार्य है।

3– प्रश्न पत्र के खण्ड एक और दो में से मात्र एक–एक प्रश्न हल करना है तथा उनके उत्तर एक हजार शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

4– प्रथम एवं द्वितीय खण्ड के प्रश्नों के लिए 20–20 अंक निर्धारित है तथा खण्ड तीन के लिए 10 अंक निर्धारित हैं और इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य है।

5– प्रश्नों के उत्तर में समर्थन तथा विरोध हेतु उचित तर्को का उपयोग करने में प्रतियोगी को पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी।

6– प्रथम तथा द्वितीय खण्ड के प्रश्नों में से एक–एक प्रश्न का उत्तर वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक वातावरण के संदर्भ शामिल करते हुए दें। वर्तमान वातावरण को उदाहरण के रूप में अवश्य शरीक करें।

प्रश्न–पत्र प्रथम खण्ड

सूचनाः– कोई भी एक प्रश्न का उत्तर देना है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक 20 है। प्रश्न का उत्तर मात्र 1000 एक हजार मात्र शब्दों तक सीमित हो।

1– लोक नियुक्त तंत्र और लोक नियंत्रित तंत्र का अन्तर और समाज तथा व्यवस्था पर इन दोनों तंत्रों से पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करें। भारत में वर्तमान संसदीय लोकतंत्र मे अव्यवस्था बढ़ने के मूल कारण क्या हैं?

2– आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय तथा अपराध नियंत्रण में से शासन का पहला दायित्व कौन सा है। शासन अपना सर्वोच्च दायित्व पूरा करने मे किस सीमा तक सफल और कितना असफल रहा है। इसका मूल कारण और समाधान भी बताएं।

3– भारत में व्याप्त वर्तमान अव्यवस्था के लिए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में से कौन अधिक दोषी है। इसकी रचना और कार्यप्रणाली में क्या कमियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है।

4– नई दिशा पुस्तक में काल्पनिक तानाशाह शीर्षक के अन्तर्गत छः कल्पनाएं की गयी है। क्या आप इन्हें प्रभावकारी मानते हैं? उनमें से चार कल्पनाओं की व्यापक विवेचना करें।

5– लोक स्वराज्य अर्थात स्वशासन का आधार संविधान द्वारा सत्ता का नवीन वितरण ही हो सकता है। अतः परिवार, ग्राम, जिला, प्रान्त और राष्ट् इन पांचों ईकाइयों के अधिकार एवं दायित्वों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना कितना आवयश्यक है? स्पष्ट करें।

6– शासन रहित अवस्था, अराजकता और शासन मुक्त व्यवस्था में से आप किस विचार को सर्वाधिक उचित मानते हैं और क्यों? सुस्पष्ट विवेचना कीजिए करें।

7– राष्ट्र और समाज में से आप किसका दायरा बड़ा मानते हैं? तुलनात्मक रूप से अपने कथन की पुष्टि करें।

प्रश्न पत्र द्वितीय खण्ड

सूचनाः– कोई भी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक–20 है।
प्रश्न का उत्तर मात्र 1000/– एक हजार मात्र शब्दों से अधिक न हो।

1– महंगाई, मुद्रास्फीति और घाटे की अर्थव्यवस्था की स्पष्ट व्याख्या करें। इनके परस्पर संबंध को बताएं । इन तीनों का आम नागरिक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

2– कृत्रिम ऊर्जा डीजल, पेट्रोल, बिजली का सस्ता होना भारत में बेरोजगारी और गरीबी की बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण है। कथन की सांगोपांग व्याख्या करें।

3– केन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था शोषण और अव्यवस्था के मूल कारण हैं। कथन को स्पष्ट व्याख्या करें।

4– भारत में प्रजातांत्रिक हथकण्डों से आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ाई जा रही है और एक विशिष्ट सुविधा भोगी तथा अधिकार प्राप्त वर्ग बन गया है। कथन की स्पष्ट समीक्षा करें।

5– नई दिशा पुस्तक के दूसरे शीर्षक के कालम चौबीस में श्रम शोषण के चार सिद्धान्त बताएं गए हैं। क्या आप इन सिद्धान्तों में से किसी सिद्धान्त को वास्तव में घातक समझते हैं? यदि हां तो किस सिद्धान्त को तथा क्यों? सटीक उत्तर लिखें।

6– शिक्षित बेरोजगारी एक काल्पनिक समस्या है। इसका श्रम की मांग, श्रम की आपूर्ति, श्रम के मूल्य और श्रम की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कथन की समीक्षा करें।

प्रश्न पत्र– खण्ड तीन

सूचना– दोनों प्रश्न हल करना अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक–5 हैं।

1– प्रदत्त पुस्तक नई दिशा में लिखित परिभाषाओं में से पांच ऐसी परिभाषाएं लिखें जिनसे आप सहमत हों। प्रत्येक परिभाषा की विशेषताएं 50–50 शब्दों की सीमा में लिखें।

2– प्रदत्त पुस्तक नई दिशा में लिखित परिभाषा में से पांच ऐसी परिभाषा लिखें जिनसे आप सहमत हों। प्रत्येक परिभाषा की आलोचना 50–50 शब्दों की सीमा में लिखें।